न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

अपील संख्याः 84/2016 RCMS No.—2016/00139

श्रीमती मुन्नी बेवा रामसहाय (मृत)
1/1 श्रीमती कमली पुत्री श्रीमती मुन्नी बेवा रामसहाय निवासी ग्राम आंधी तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

...अपीलांटस

बनाम

1. हनुमान सहाय शर्मा, उम्र 55 वर्ष
2. लक्ष्मण शर्मा उम्र 52 वर्ष,
3. महादेव उम्र, 50 वर्ष,
4. रामजीलाल उम्र 48 वर्ष,
5. शिवदयाल शर्मा उम्र 40 वर्ष,
   समस्त पुत्रान स्व. मूलचन्द, जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासीयान ग्राम खवारानीजी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ, जिला जयपुर।

.....रेस्पाडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 1130 दिनांक 05.09.2011 व नामान्तकरण संख्या 411 दिनांक 08.02.1983 जिसके द्वारा रेस्पाडेन्ट्स व उनके स्वर्गीय पिता मूलचन्द के नाम अवैध रूप से नामान्तकरण खोला गया।

निर्णय दिनांकः 10.07.2019

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार, जमवारामगढ के निर्णय दिनांक 08.02.1983 जिससे नामान्तरकरण संख्या 411 वाके ग्राम खवारानीजी, तहसील जमवारामगढ एवं सरपंच ग्राम पंचायत खवारानीजी के आदेश दिनांक 05.09.2011 द्वारा तस्दीक नामान्तकरणं संख्या 1130 रेस्पाडेन्ट्स एवं उनके पिता के नाम खोले जाने से असंतुष्ट होकर दिनांक 14.07.2015 को इस न्यायालय में धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्टस जारी करने तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब करने के आदेश दिये गये। रेस्पाडेन्ट संख्या–1 ल. 5 की ओर से श्री राजेश कुमार पारीक, अधिवक्ता ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। दौराने विचाराधीन अपील अपीलांट मुन्नी बेवा रामसहाय की मृत्यु होने पर कायम–मुकाम प्रार्थना पत्र स्वीकार होने से 1/1 कमली पुत्री मुन्नी देवी बेवा रामसहाय को रिकॉर्ड पर लिया गया। रेस्पाडेन्ट संख्या–6 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जमवारामगढ से मूल नामान्तरकरण संख्या 1130 प्राप्त होने पर शामिल मिसल किया गया एवं प्रभारी अधिकारी रिकॉर्ड शाखा कलेक्ट्रेट जयपुर से

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

नामान्तकरण संख्या 411 की प्रमाणित छायाप्रति प्राप्त होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली पर बहस विद्वान उभय पक्ष अधिवक्ता सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अपीलार्थी की माता मुन्नी देवी स्व. रामसहाय पुत्र नाथ्या उर्फ नाथू की पत्नी थी। स्व. नाथ्या उर्फ नाथू के दो पुत्र उत्पन्न हुए मूल्या व रामसहाय इसके पश्चात मूल्या के पांच पुत्र हुए जो रेस्पा. संख्या 1 लगायत 5 है। वर्तमान में मूल्या व रामसहाय दोनो फोत हो चुके है स्व0 मूल्या जो कि रेस्पाडेन्ट्स के पिता थे उन्होने अपने भाई रामसहाय जो कि अपीलार्थीया मुन्नी देवी के पति थे की मृत्यु पश्चात सरपंच ग्राम पंचायत खवारानीजी व पटवारी हल्का से साज कर फर्जी कुर्सीनामा बनवाया जिसमें रामसहाय की पत्नि मुन्नी देवी को मृत व ला औलाद बताकर स्व. रामसहाय की सम्पत्ति का नामान्तकरण अपने नाम से तहसीलदार जमवारामगढ के आदेश दिनांक 09.02.1983 के द्वारा तस्दीक करवा लिया जो अपीलार्थीया के दिनांक 09.02.1983 को जीवित होने से मुन्नी देवी के हक अधिकार बने रहते है। मुन्नी देवी ला औलाद नहीं थी उनके एक सगी पुत्री अपीलार्थीया कमला है जो ग्राम आंधी में रहवास कर रही है। अपीलाधीन दोनो नामान्तकरण वास्तविक तथ्यो को छुपाकर नियमविरूद्व तस्दीक किये गये है। रेस्पाडेन्ट्स 1 लगायत 5 के पिता ने नामान्तकरण संख्या 411 आदेश 08.02.1983 अपने नाम तस्दीक करवाया। इसके पश्चात रेस्पाडेन्ट्स संख्या 1 लगायत 5 के पिता मूल्या के फौत होने पर अपीलाधीन भूमि का नामान्तकरण संख्या 1130 रेस्पाडेन्ट्स संख्या 1 लगायत 5 ने अपने नाम से सरपंच ग्राम पंचायत खवारानीजी से साजकर दिनांक 05.09.2011 को तस्दीक करवा लिया। उक्त दोनो नामान्तकरण अपीलार्थीया के हक व अधिकार की आराजी का खुलवाये जाने से अवैध है। तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा स्व. रामसहाय के विधिक वारिसान की किसी प्रकार की जांच किये बिना अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा निर्णित नामान्तकरण संख्या 411 दिनांक 09.02.1983 एवं सरपंच ग्राम पंचायत खवारानीजी द्वारा तस्दीक नामान्तकरण संख्या 1130 दिनांक 05.09.2011 को निरस्त फरमाया जावें।

दौराने बहस रेस्पाडेन्ट संख्या–एक ल. पांच की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने दलील दी कि अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत अपील दो नामान्तकरणों के विरूद्व न्यायालय हाजा में पेश की गई इसलिए अपील मैन्टेनेबल नहीं है। अपीलाधीन भूमि का हक उत्तराधिकार नियमित वाद में तय होगा नामान्तकरण के उत्तराधिकार के प्रश्न को तय

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

नहीं किया जा सकता। अपीलांट द्वारा नियमित दावा घोषणा खातेदारी हेतु पेश कर रखा है जिसमें तनकियात कायम की जा चुकी है, जिसमें यह भी तनकी कायम की जा चुकी है कि क्या कमला रामसहाय की पुत्री है। यह तथ्य साक्ष्य के आधार पर रेगुलर सूट में तय होगा। दस्तावेज के आधार पर रामसहाय 1950 में फौत हुआ और कमला 1960 में पैदा हुई तो स्वयं रामसहाय की पुत्री बताया जाना गलत है, इतने वर्षो में कोर्ट कार्यवाही नहीं की एवं फर्जी तौर पर पुत्री बनकर दावा व अपील पेश की गई है।ग्राम पंचायत द्वारा निर्णित नामान्तकरण की अपील माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ में की जानी चाहिए थी। दो विभिन्न पीठासीन अधिकारियों द्वारा निर्णित किये गये नामान्करणों की अपील पृथक–पृथक रूप से की जानी चाहिए थी। अपील अपीलार्थीया ने ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे उक्त विवादित भूमि पर अपीलार्थीया का कब्जा या अधिकार स्पष्ट हो। अपील अपीलांट सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट्स द्वारा अपने कथन के संदर्भ में न्यायिक दृष्टान आर.आर.टी 2018(2) पेज 879, आर. आर.टी 2003(1) पेज 650, आर.आर.डी. 2005 पेज नंबर 85, आर.आर.डी. 1998 पेज नंबर 370, आर.आर.डी. पेज नंबर 109, आर.आर.डी 1984 पेज नंबर 844, 261, आर. आर.डी 1991 पेज नंबर 164, ए.आई.आर 1998 पेज नंबर 2276, आर.आर.डी. 1999 पेज नंबर 98, आर.आर.डी. 1994 पेज नंबर 276 पेश किए गए।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1130 रेसपा0 संख्या 1 लगा. 5 के पिता के फौत होने पर रेस्पाडेन्ट संख्या 1 ल. 3 के पक्ष में भरा गया जिसको ग्राम पंचायत खवारानीजी द्वारा स्वीकार किया गया है। अपीलाधीन भूमि के संबंध में हक अधिकार का वाद न्यायालय में विचाराधीन है। नामान्तरकरण जैसी फिसकल प्रोसीडिंग्स में किसी के हक व अधिकार सुनिश्चित नहीं किये जा सकते है। अपील खारिज किये जाने योग्य है।

विद्वान उभय पक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई। पत्रावली का मय अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त नामान्तरकरण संख्या 1130 एवं नामान्तकरण संख्या 411 की प्रमाणित छायाप्रति के आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त नामान्तरकरणों के अवलोकन से स्पष्ट है कि नामान्तकरण खातेदार के फौत हो जाने पर रेस्पा0 संख्या 1 लगायत 5 के हक में स्वीकार किया गया है। सरपंच ग्राम पंचायत खवारानीजी द्वारा तस्दीक नामान्तकरण संख्या 1130 के विरूद्व अपील के अधिकार सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ को निहित है।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट यह साबित नहीं कर पाये है कि वह वादग्रस्त भूमि पर किस प्रकार से अपना हक व अधिकार रखते है। वैसे भी नामान्तरकरण की कार्यवाही फिसकल प्रोसीडिंग्स है जिसमें किसी के हक, हकूक अधिकार के बिन्दु को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है और न ही इस बावत क्षेत्राधिकार न्यायालय में निहित है। वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अपीलांट के हक, हकूक अधिकार किसी प्रकार से है तो भी अधिकारों की धोषणा नियमित वाद में ही की जा सकती है। जिसके लिये वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। अपील अपीलांट द्वारा विवादित भूमि पर अपने हक अधिकार के बिन्दु पर कोई ठोस साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त किये जाने या उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन किये जाने का कोई ठोस आधार नहीं है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्याायलय की पत्रावली लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.07.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(इकबाल खान)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर